# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–36 / 2024 दायर दिनांकः 28.10.2024
GCMS NO:- 2024/271 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. ओमप्रकाश आ0 रामकरण जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
2. फोरन्ती देवी योगी पुत्री रामकरण जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण–

बनाम

1. शोजी आ0 रामकरण जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
2. जगनी पत्नी स्व. रामकरण जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
3. कंचन बाई पुत्री रामकरण जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
4. जयबाई पुत्री रामकरण जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
5. ममताबाई पुत्री रामकरण जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
6. रामबाई पुत्री रामकरण जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
7. नरेन्द्र आ0 मोजीराम जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
8. राजेन्द्र आ0 मोजीराम जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
9. कविता पुत्री मोजीराम जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
10. सुशिला पत्नी स्व. मोजीराम जाति नाथ नि0 बिशनपुरा तहसील नैनवॉ।
11. राजस्थान राज्य भूस्वामी जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण–

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट**

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विमल कुमार साहू।
प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा।

**निर्णय दिनांक 29.09.2025**

**:–निर्णय–:**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बिशनपुरा प0म0 कुम्हारिया तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या नया 151 व पुराना 136 के खसरा संख्या 104 / 116, 115, 116, 154, 256 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5727 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 10 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भ्झूमि मे प्रार्थी ओमप्रकाश का नाम पप्पू दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी ओमप्रकाश के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि मे प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश ही दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थीया फोरन्ती देवी योगी का नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रकाशी बाई दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि मे प्रार्थीया का नाम फोरन्ती देवी योगी दर्ज हो रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि का जब इन्ताकाल खुला तब प्रार्थीगण के नाम उनके घरेलू नाम पप्पू व प्रकाशी बाई के नाम से खुल गया जबकि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजों मे उनका नाम ओमप्रकाश एवं फोरन्ती देवी योगी है। प्रार्थीगण का नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि एवं दस्तावेजों मे अलग अलग होने से प्रार्थीगण को उनके हिस्से की कृषि भूमि मे कृषि कनेक्शन करवाने, केसीसी बनवाने, बैंक से कृषि ऋण प्राप्त करने एवं राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ नही मिल पा रहे है तथा प्रार्थीगण द्वारा जब उक्त नामों को संशोधित करवाने हेतु तहसील कार्यालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया तो प्रार्थीगण को श्रीमान के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी जिससे प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का नाम पप्पू के स्थान पर आमप्रकाश एवं प्रकाशी बाई के स्थान पर फोरन्ती देवी योगी संशोधित करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 17.01.2025 को वकालातनामा मय इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना

पत्र मुताबिक प्रार्थना स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 11 तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2025/4495 दिनांक 03.09.2025 को रिपोर्ट पेश की जिसमे बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खाता संख्या नया 151 व पुराना 136 के खसरा संख्या 104/1116, 115, 116, 154, 256 प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के संयुक्त आधिपत्य की भूमि है जिसमे निर्बाध रूप से काश्त करते है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का नाम क्रमशः पप्पू एवं प्रकाशी बाई दर्ज हो रहा है जो कि विरासत का नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 20.09.2001 से दर्ज होकर खाता कायम हुआ है। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत माणी द्वारा स्वीकृत किया गया है। ग्राम बिशनपुरा मे ग्रामवासियान द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि पप्पू व ओमप्रकाश एवं प्रकाशी बाई व फोरन्ती बाई एक ही व्यक्ति है जिनको उक्त नामों से बचपन मे पुकारा जाता था जिससे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे पप्पू उर्फ ओमप्रकाश एवं प्रकाशी बाई उर्फ फोरन्ती देवी शुद्व किया जाना उचित हाने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खाता संख्या नया 151 व पुराना 136 के खसरा संख्या 104/1116 (प्रार्थना पत्र मे संहव्न से 104/116 लिखने मे आना बताया), 115, 116, 154, 256 मे दर्ज प्रार्थीगण का नाम पप्पू के स्थान पर पप्पू उर्फ ओमप्रकाश एवं प्रकाशी बाई के स्थान पर प्रकाशी बाई उर्फ फोरन्ती देवी शुद्व किया जावे। साथ ही निवेदन किया कि उक्त संबंध मे श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है अतः तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का नाम संशोधन करवाने की कृपा करें।

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"**

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली में प्रार्थी ओमप्रकाश के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड मे प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश ही अंकित है एवं इसी प्रकाश प्रार्थीया फोरन्ती देवी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड मे प्रार्थीया का नाम फोरन्ती देवी ही अंकित है। साथ ही पत्रावली मे सरपंच, ग्राम पंचायत माणी द्वारा दिनांक 22.10.2024 को जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न है जिसमे प्रार्थी ओमप्रकाश को पप्पू तथा प्रार्थीया फोरन्ती देवी को प्रकाशी बाई के नाम से भी जाना जाने का अंकन है। तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खाता संख्या नया 151 व पुराना 136 के खसरा संख्या 104/1116, 115, 116, 154, 256 मे प्रार्थी ओमप्रकाश का नाम पप्पू उर्फ ओमप्रकाश तथा प्रार्थीया फोरन्ती देवी का नाम प्रकाशी बाई उर्फ फोरन्ती देवी शुद्व किये जाने की अभिशंषा की है। पत्रावली में उपरोक्त सभी तथ्यों से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिशनपुरा प0म0 कुम्हारिया तहसील नैनवॉ मे स्थित खाता संख्या नया 151 के खसरा संख्या 104/1116, 115, 116, 154, 256 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5727 हैक्टयर भूमि में दर्ज प्रार्थीगण का नाम "पप्पू" के स्थान पर "पप्पू उर्फ ओमप्रकाश" तथा "प्रकाशी बाई" के स्थान पर "प्रकाशी बाई उर्फ फोरन्ती देवी" शुद्व दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 29.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां